भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2985
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

एफटीएससी के लिए राष्ट्रीय कार्य-निष्पादन ढांचा

2985 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, यह देखते हुए कि वर्ष 2024 में कई राज्यों में दोषसिद्धि की दर 10 प्रतिशत से कम रही और कई राज्यों में औसत जांच का समय 1,000 दिनों से अधिक रहा है, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है ;

(ख) क्या सरकार एफटीएससी के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-निष्पादन संबंधी रूपरेखा तैयार करने का विचार रखती है, जिसमें दोषसिद्धि दर, लंबित मामलों में कमी, निपटान की दक्षता और विचारण की समय-सीमा के लिए समान मानक तय किए जाएं ; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावित निगरानी और जवाबदेही तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वतः संज्ञान रिट (आपराधिक) संख्या 1/2019] के अनुसरण में विशेष त्वरित न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए, जिसमें विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालय भी शामिल हैं, केंद्र प्रायोजित स्कीम तारीख 2 अक्टूबर 2019 को आरंभ की गई । ये न्यायालय बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन दंडनीय अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध विचारण और निपटान के लिए समर्पित हैं।

मामले के निपटान में लगने वाला समय और दोषसिद्धि दर कई परस्पर संबंधित कारकों पर निर्भर करते हैं, जो विशेष त्वरित न्यायालयों (एफटीएससी) की संस्थागत संरचना से परे होते हैं। इन कारकों में जांच की गुणवत्ता, मामले में शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति एवं गुणवत्ता और हितधारकों के सहयोग, जैसे बार, जांच अभिकरण, कानूनी प्रतिनिधित्व, न्यायालयिक सहायता, गवाह और मुवक्किल शामिल हैं । इसलिए, दोषसिद्धि दरें आवश्यक रूप से न्यायालय के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं और इन्हें समग्र रूप से समझा जाना चाहिए, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी आयामों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनमें पुलिस, न्यायालयिक प्रयोगशालायें और वकील शामिल हैं। न्यायालयों को कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने की आज्ञा दी जाती है, जिसमें अभियुक्त को दोषमुक्त करना भी शामिल हो सकता है।

विशेष त्वरित न्यायालय स्कीम के अधीन अनुश्रवण को मजबूत करने और परिणामों में सुधार के लिए, राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालयों के साथ दृश्य दूरसंलाप के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों को भी पत्र लिखा है, जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन निर्धारित सांविधिक समय-सीमाओं का दृढ़तापूर्वक पालन करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की कार्यसूची में विशेष त्वरित न्यायालयों का प्रदर्शन एक नियमित मद है, जिसका उद्देश्य अंतर-सरकारी समन्वय को सुधारना और न्याय वितरण को शीघ्रता प्रदान करना है।

****